

F. No: 18015/37/2014-NM.III
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Naxal Management Division)

(a)

North Block, New Delhi
Dated the 2nd April, 2014

To,

Shri Bibhuti Narayan Dubey.
Village: Sansarapur,
Post Office: Chaksunderpur Giyanpur,
Janpat Sant Ravidas Nagar,
Badohi, Uttar Pradesh – 221304.

Sub: Information sought under the Right to Information Act, 2005 – reg.

Please refer to your RTI application dated 03.03.2014 received in this Division on 25.03.2014 vide this Ministry's letter No. 18015/12/2014-NM.IV dated 25.03.2014 seeking information regarding funds released by the Central Government to the LWE affected States for the Security purpose under the RTI Act, 2005.

2. The available information with respect to point no 3 of the above mentioned RTI application is furnished as under:-

'Under the Security Related Expenditure (SRE) Scheme, the Central Government reimburses to the State Governments of 9 LWE affected States security related expenditure of 106 districts relating to ex-gratia payment to the family of civilian/security forces killed in LWE violence, insurance of police personnel, training and operational needs of security forces, compensation to Left Wing Extremist cadres who surrender in accordance with the surrender and rehabilitation policy of the concerned State Government, community policing, security related infrastructure for village defence committees and publicity material. Details of the Funds released during the year 1999-2000 to 2013-2014 under the Security Related Expenditure (SRE) Scheme for LWE affected States is enclosed as **Annexure.**'

3. Appeal u/s 19(1) of the Act, if any, is to be made within 30 days of receipt of this communication and the same in respect of this information lies with Shri M.A. Ganapathy, Joint Secretary, Naxal Management Division, Room No. 193-A/1, North Block, New Delhi – 110 001.

03 APR 2014
श्री क.स. कुसला कुमार (NS)
श्री क.स. कुसला कुमार

Encl: As above.

Copy to:

1. Shri K.S. Kusala Kumar, DS(NM) & CPIO, MHA, North Block, New Delhi w.r.t letter No: 18015/12/2014-NM.IV dated 25.03.2014.

2/4/14
(Rambir Singh)
Director (NM) & CPIO
d/c

10

Annexure

**Security Related Expenditure (SRE) Scheme for LWE affected States
(Funds released during the year 1999-2000 to 2013-14)**

(Figures in Rs. lakh)

State	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Andhra Pradesh	3046.00	674.00	473.82	217.35	221.00	282.00	1316.03	610.15	1079.25	582.59	227.51	2818.84	1072.77	1512.82	1798.02
Bihar	900.00	1980.00	1005.10	180.00	43.68	60.41	434.99	4.15	230.00	521.67	276.65	2941.19	1364.91	786.83	1710.89
Chhattisgarh	-	-	32.25	223.49	160.87	200.00	1085.01	967.92	1045.00	2011.64	3614.24	8774.35	4237.08	5074.01	4214.41
Jharkhand	-	-	18.80	54.00	98.07	341.27	605.85	1472.22	1724.50	2350.24	1111.10	5940.65	7535.95	6754.94	4778.74
Madhya Pradesh	500.00	141.90	69.16	82.37	139.82	23.52	108.00	251.25	170.00	399.86	10.87	155.41	27.50	65.05	55.75
Maharashtra	196.00	50.00	16.66	-	81.42	125.55	272.16	526.00	462.00	471.98	271.18	1367.17	762.91	460.44	738.51
Odisha	358.00	190.83	18.46	168.00	86.85	65.77	254.60	716.43	1216.62	1308.98	371.22	5661.61	2156.62	1531.34	4813.3
Uttar Pradesh	-	-	-	29.17	-	-	196.30	-	80.00	185.52	50.75	356.14	200.01	550.11	533.28
West Bengal	-	-	-	-	-	-	227.53	150.00	288.00	167.52	66.48	1891.08	1390.68	1330.70	2065.1
Total	5000.00	3036.73	1634.25	954.38	831.71	1098.52	4500.47	4698.12	6295.37	8000.00	6000.00	29906.44	18748.43	18066.24	20708.00

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन

सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र



आवेदक का नाम

विश्वरि नारायण दूबे
(आर.टी.आई. कार्यकर्ता)



RIGHT TO INFORMATION

निवास - [REDACTED] SECTION

ग्रा. संसारापुर, पो. चकसुन्दरपुर ज्ञानपुर

जनपद सन्त रविदास नगर, भदोही (उ.प्र.) - 221304

मो. 9450789856, 8009746719

पत्रांक - 293/F/2014

पंजीकृत

दिनांक - 03 मार्च 2014

URGENT	
RTI ACT	
Diary No. & Date	1615 07/03/14
Last Date For Reply	12/03/14

श्रीमान् केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी महोदय
मा० पुद्धानमन्त्री कार्यालय
भारत सरकार, नई दिल्ली

IPONo25F 004627
भ 2101

1- आवेदक का नाम - विश्वरि नारायण दूबे

2- पता - उपर्युक्त उल्लिखित पता

3- अपेक्षित सूचना का विवरण - (i) सूचना की विषय-वस्तु - सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक

(ii) अवधि (जिससे सूचना सम्बन्धित है) - 45 दिन

(iii) अपेक्षित सूचना का विस्तृत विवरण - आवेदक आप श्रीमान् जी से निम्नलिखित बिन्दुओं के सापेक्ष सूचना उपलब्ध कराये जाने का निवेदन करता है -

बिन्दु-1- सम्पूर्ण भारत में सन् 1980 से अब तक कुल कितने किसानों द्वारा कृषि से जुड़े उत्पाद फसलों में घाटा आने से आर्थिक रूप से तंगी ^{व वकामा स्थान की अक्षयगीन} झालर होने के कारण भूखमरी के कगार पर पहुँचने की स्थिति न झेल पाने के कारण आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया गया है। उनका नाम, पता, आत्म-हत्या दिनांक, सरकार द्वारा सम्बन्धित किसान के अधिकारों को दी गयी आर्थिक व अन्य सहायता के सम्पूर्ण विवरण की सूची उपलब्ध कराने की कृपा करें।

बिन्दु-2 सम्पूर्ण भारत देश में सन् 1990 से अब तक कुल कितने नागरिकों व पुलिस, सी. आर. पी. रुफ., भारतीय सेना ^{व अन्य} के जवानों की मृत्यु नक्सलियों के प्राणघातक हमले से हुयी है। प्रत्येक के नाम, पता, मृत्यु दिनांक, सरकार द्वारा सम्बन्धित के अधिकारों

MHA
MHA

9/1/748

संख्या:- 466-258

को सरकार द्वारा दी गयी आर्थिक मदद व अन्य मदद तथा
 जैसे नक्सली हमलों के सुरक्षा की इच्छिमौण से अब तक की
 इसी व्यवस्था के विवरण की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विन्दु-3- भारत सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित राज्यों को सुरक्षा व्यवस्था
 के मद्द में वर्ष 1990 से अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की
 जा चुकी है वर्षवार विवरण की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट
 करें।

Security
 related
 Expenditure

विन्दु-4- भारत देश से सटे अन्य देशों की सीमा पर हैनाल भारतीय
 सेना के वीर जवानों में से सन् 1990 से अब तक विदेशी
 आतंकवादियों व अन्य किसी भी प्रकार के हमलों से अब तक
 कितने भारतीय सेना के वीर जवान शहीद हो चुके हैं? प्रत्येक का
 नाम, पता, शहीद होने का दिनांक तथा उनके आश्रितों को भारत
 सरकार द्वारा दी गयी आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी,
 तथा अन्य मदद के सम्पूर्ण विवरण की प्रति उपलब्ध कराने का
 कष्ट करें।

विन्दु-5- मा० प्रधानमन्त्री जी भारत सरकार को "आर० टी० आई०
 कार्यकर्ता" के रूप में अपनी सुरक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ
 में आवेदक द्वारा लिखा गया पत्र संख्या: 81/सुरक्षा/2013
 दिनांक: 26-06-2013 के आवेदक मा० प्रधानमन्त्री जी द्वारा
 क्या कार्यवाही की गयी है? कृपया कार्यवाही विवरण की प्रति उपलब्ध
 कराने का कष्ट करें।

विन्दु-6- विन्दु-5 में वर्णित पत्र के सन्दर्भ में आवेदक को आज
 दिनांक: तक सुरक्षा व्यवस्था किस विधिक कारण से मुहैया नहीं
 करायी जा सकी है, विवरण सहित अवगत कराये। अवगत होना चाहें
 कि आवेदक द्वारा "आर० टी० आई० कार्यकर्ता" के रूप में अनेक
 छोटे-बड़े मामलों में अत्याचार का खुलासा किये जाने से जीवन-
 भय अवस्था में आ गयी है, जिससे जिम्मेदार लोगों द्वारा कमी
 भी पलटवार करके हमला किये जाने की सम्भावना से इन्कार
 नहीं किया जा सकला।

विन्दु-7- विन्दु-5 में वर्णित पत्र में उल्लिखित श्री पृथ्वीराज
 चव्हाण, राज्यमन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) वृद्धी विज्ञान मंत्रालय,



सुरक्षा-पृष्ठ उपर

(2)

राज्यमन्त्री प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा कार्मिक, लोक शिमायत एवं पेंशन मन्त्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्रालय, तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या: D.O. No. F-1/15/2010-IR दिनांक:

25 अगस्त 2010 (पहिले संलग्न है) के अनुपालन में आर.वी.आई. की गतिविधि से जुड़े "आवेदक विमूहि नारायण डूबे, आर.वी.आई कार्मिक" की सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री व जिला मजिस्ट्रेट मदीही द्वारा आज दिनांक तक न किए जाने की लिखित में "आवेदक के सुरक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में तथा भारत सरकार के उक्त आदेश का सम्बन्धित लोगों द्वारा अनुपालन न किए जाने की लिखित में" मा० प्रधानमन्त्री भारत सरकार द्वारा आवश्यक उचित कार्यवाही करके कार्यवाही रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने का कबट करे।

(iv) अपेक्षित सूचना डाक द्वारा उपलब्ध कराने का कबट करे।

(v) डाक की दशा - पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा

(4) क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे का है - नहीं।

स्थान - संसारापुर

संलग्नक संसदीय शुल्क रु० 10/- मूल्य

का भारतीय पोस्टल ऑर्डर

संख्या: 25F 004624

आवेदक का हस्ताक्षर

03/03/14

(विमूहि नारायण डूबे)

श. मा० पृथ्वीराज चव्हाण मले 94

राज्यमन्त्री भारत सरकार का

आर.वी.आई. कार्मिक विमूहि नारायण डूबे की

सुरक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में पत्र

सं. D.O. No. F-1/15/2010-IR

दि० 25 अगस्त 2010 (द्वितीय)

Prithviraj Chavan

Minister of State (IC) for Science & Technology and Earth Sciences;
Minister of State in the Prime Minister's Office;
Personnel, Public Grievances and Pensions
and Parliamentary Affairs
Government of India, New Delhi



सत्यमेव जयते

D.O.No. F.1/15/2010-IR

पृथ्वीराज चव्हाण

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय;

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय;

राज्यमंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय तथा

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय

भारत सरकार, नई दिल्ली

25 AUG. 2010

Dear

As you are aware, Right to Information (RTI) was enacted in 2005 with the objective of improving transparency in the working of the Government and accountability of public servants. In a short span of 5 years, this Act has made a significant impact at both Central and State Government level. A large number of RTI requests are being filed regularly across the country and this is slowly but surely changing the way Governments function right up to the field level.

2. However, precisely because information is being sought and provided under the RTI Act on all the activities of Government bodies at various levels, and in many cases corruption and mal-administration has been exposed, disturbing reports have appeared recently in media about the victimization of people who use RTI (and PILs based on such information) to expose corruption and irregularities in administration. Media has also reported that during the last year, 8 activists have been allegedly murdered. There are also reports that information seekers are often threatened or physically intimidated. Civil Society Organizations have also highlighted this issue. Although, correct facts in all these cases would emerge only after proper investigations are made, if true this is a serious matter and cannot be allowed to continue, as it will negate the very purpose for which the Act was legislated.

3. The success of the RTI Act so far is due to the combined efforts of Central and State Governments and we need to take all steps to ensure that an atmosphere is created where citizens can exercise this right freely and without fear. State Governments have a crucial role to play in creating such an enabling environment.

4. There are enough provisions in the CrPC and IPC to enable the law enforcement machinery in your State to take strict preventive and punitive actions against such people who hinder the smooth

RT

31
8

functioning of the Act. District Authorities need to be sensitized in this regard. At the State level, if any such instance comes to the notice, it should be promptly inquired into and action taken against the offenders. I understand that some States have taken steps to sensitise District authorities in this regard and have issued detailed instructions. You may also like to consider issuing similar instructions to District authorities in this respect.

With regards,

Yours sincerely,



(Prithviraj Chavan)

Chief Ministers of all States/UT Administrator

13 SEP 2010
जारी किया गया
34

